children to enable them to reach out to a larger number in the cities of India. The objective of the Scheme is to provide integrated community-based basic services for the care, protection and development of street children facing destitution, neglect, abuse and exploitation/

आदिवासियों का गैर-आदिवासियों में विलय

830. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[(क) क्या यह सच है कि सरकार सांसदों, विधान मंडलों और आदिवासी लोगों से सम्बन्धित स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किए बिना ही गैर-आदिवासी लोगों को आदिवासियों में विलय करने का विचार रखती है;

(ख) आदिवासी महिलाओं एवं बालकों के कल्याण के लिए लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कल्याण मंत्रालय के लक्ष्यों, प्रयोजनों और क्रिया-कलापों की सूचना आदिवासियों तक पहुंचाने का माध्यम क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :—
(क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, के अधीन अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए होस्टलों के निर्माण तथा उनके विस्तार करने एवं आश्रम स्कूल की स्थापना के लिए तथा शिक्षा के लिए पर्यावरण अनुसार अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य और केन्द्र द्वारा 50 : 50 के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों को बुक बैंक, कोचिंग एवं अलाइड स्कीम तथा मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां जैसी योजनाओं के लिए भी निधियां दी जाती हैं । आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं के शैक्षिक विकास के लिए एक आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता पाकिटों में शैक्षिक परिसर के नाम से एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना इस वित्तीय वर्ष के दौरान चालू की गई है । बाल और हिला विकास विभाग की एक बड़ी योजना कार्यान्वित करता है अर्थात आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास सेवा ।

(ग) कल्याण मंत्रालय का मीडिया यूनिट समय-समय पर राज्यों में कुछ आदिवासी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में डाक्यूमेंट्री फिल्में दिखाते हैं । योजनाओं/कार्यक्रमों/उद्देश्यों का भी समय-समय पर रेडियो के माध्यम से प्रसारण किया जाता है । मंत्रालय के ध्येय, उद्देश्य और गतिविधियां मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में भी छापी जाती है । यह रिपोर्ट संसद में रखी जाती है तथा संसद के सभी सदस्यों में परिचालित की जाती है । राज्य आदिवासी अनुसंधान संस्थानों में से कुछ, जिन्हें मंत्रालय द्वारा निधि दी जाती है, देश में अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास संबंधी प्रमुख सीरीज भी प्रकाशित करते हैं ।

New scheme for the welfare of street children

836. SHRI V. HANUMANTHA RAO : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether a new scheme has been launched by Government for the welfare of street children ;

(b) whether it is a fact that Hyderabad is one of the selected cities intially for implementation of the scheme ;

(c) what is the amount sanctioned for the Hyderabad city for this scheme ; and

(d) by when this scheme is scheduled to be implemented ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Under the Scheme, two NGOs have to be selected for assistance for the Hyderabad city for the year 1993-94 @ Rs. 7-39 lakhs per project. Under the project, the Government of India's assistance is 90 per cent.